

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रामाणिक से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 285] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 1975/श्रावण 10, 1897

No. 285] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 1975/SRAVANA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security Force (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st August 1975

S.O. 402(E).—In pursuance of the provisions of clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Manipur for a period of six months with effect from 7th August, 1975 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

गृह मंत्रालय

सोमा सुरक्षा दल (II) अनुभाग (जी एंड क्यू)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

10 नि० 402(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा

(1769)

घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-8-75 से 6-2-76 तक छः मास के लिए मनीपुर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14 / 15 / 75-ओप्स / बी०एस०एफ०]

S.O. 403(E).—In pursuance of the provisions of clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Maharashtra for a period of six months with effect from 10th August, 1975 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 403 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968, (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 10-8-75 से 9-2-76 तक छः मास के लिए महाराष्ट्र से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14 / 15 / 75-ओप्स / बी० एस० एफ०]

S.O. 404(E).—In pursuance of the provisions of clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Madhya Pradesh for a period of six months with effect from 13th August, 1975 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 404(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 13-8-75 से 12-2-76 तक छः मास के लिए मध्य प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14 / 15 / 75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 405(E).—In pursuance of the provisions of clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Mysore for a period of six months with effect from 17th August, 1975 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सा० नि० 405 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-8-75 से 16-2-76 तक छः मास के लिए मैसूर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14 / 15 / 75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 406(E).—In pursuance of the provisions of clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Andhra Pradesh for a period of six months with effect from 23rd August, 1975 as active duty.

[No. F. 14/15/75-OPS/BSF]

सां. निं. 406(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 23-8-75 से 22-2-76 तक छ. मास के लिए ग्रान्ध प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० फा० 14 / 15 / 75-ओप्स / बी० एस० एफ०.]

S.O. 407(E).—In pursuance of the provisions of clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh for a period of six months with effect from 28th August, 1975 as active duty.

[No. F.14/15/75-OPS/BSF]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सां. निं. 407(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 28-8-75 से 27-2-76 तक छ. मास के लिए उत्तर प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय इयूटी होगी।

[सं० फा० 14 / 15 / 75-ओप्स / बी० एस० एफ०.]

सी० जी० सोमैया, संयुक्त सचिव ।

